सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 3 श्रावण, 1941 (श०) / 25 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 92

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	10
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	36
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	26
(4)	कृषि विभाग	08
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	06
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	04
(7)	सहकारिता विभाग	02
	कुल योग --	92

सड़क का पक्कीकरण

'क'-*685. <u>श्री रविन्द्र सिंह</u>--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत अरवल नगर परिषद् क्षेत्र में बस स्टैंड से जनकपुर धाम मुहल्ला परिबाबा का मजार, एस0 पी0 आवास होते हुये बेंदराबाद तक जाने वाली सड़क जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का कबतक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

'ख'-*1586. <u>श्री ललित कुमार यादव</u>--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार राज्य के भूमिहीनों को आवास के लिये 5 डीसमील जमीन मुहैया करवा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के पंचायत भालपट्टी के ग्राम-नैनाघाट, वार्ड नं0 15 के निवासी रीता देवी, दिनेश पासवान एवं प्रमीला देवी, दिलीप पासवान ने आवासीय भूमि के लिये विगत दो वर्षों से आवेदन सदर अंचल पदाधिकारी को दिया है, जिसपर कार्रवाई न होने के कारण पुन: आवेदन के बाद अंचल कार्यालय के पत्रांक 311, दिनांक 5 मार्च, 2019 के द्वारा डी0 सी0 एल0 आर0 को आवास के लिये जमीन देने की अनुशंसा की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त लाभुकों को आवासीय जमीन देने में विलम्ब के लिये जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये लाभुकों को लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा दिलाना

'ग'-*1591. <u>श्री सुबेदार दास</u>--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के ग्राम + पंचायत-कोरियावाँ, थाना नं0 57 में खाता संख्या 126 एवं खेसरा संख्या 592 में स्व0. मुन्द्रिका चौधरी, पिता-स्व0 लालू चौधरी, गोपचन्द पासवान, पिता-भगल पासवान एवं अन्य 20 व्यक्तियों को दिनांक 11 नवम्बर, 1968 को 4-4 डीसमील जमीन की बन्दोबस्त दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त खाता एवं खेसरा में स्व0 मुन्द्रिका चौधरी को 4 डीसमील में से 3 डीसमील कब्जा में है एवं 1 डीसमील जमीन श्री जगनाथ पासवान द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि दिनांक 13 जुलाई, 2018 को अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के रिपोर्ट में दिखाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री जगनाथ पासवान से 1 डीसमील जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये स्व0 मुन्द्रिका चौधरी के परिवार को कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की व्यवस्था करना

'घ'-*1598. <u>श्री संजीव चौरसिया</u>--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर अन्तर्गत कमला नेहरू नगर, अदालतगंज, यारपुर जैसे कई ऐसे स्लम बस्तियों में बड़ी संख्या में आम लोग निवास करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्लम बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के लिये पेयजल हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिये इधर-उधर भटकना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्लम बस्तियों में आम लोगों के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-दिनांक 17 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा स्थगित प्रश्न ।
'ख'-दिनांक 18 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा स्थगित प्रश्न ।
'ग'-दिनांक 18 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा स्थगित प्रश्न ।
'घ'-दिनांक 18 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से स्थानान्तरित एवं स्थगित प्रश्न ।

औचित्य बतलाना

*2228. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के प्रखंड बसंतपुर, लकड़ी नवीगंज तथा गोरेया कोठी में 20 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापर्न करने वाले राशन एवं किरासन तेल से वंचित हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कोल्ड् स्टोरेज स्थापित करना

*2229. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकंदरा विधान सभा के तीनों प्रखंडों क्रमशः सिकंदरा, अलीगंज और खैरा में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने से वहाँ के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित तीनों प्रखंडों में कोल्ड स्टोर का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल पहुँचाना

*2230. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत में जलमीनार का निर्माण कार्य एवं पाइप कार्य संवेदक द्वारा प्राक्कलित मानक के अनुरूप नहीं किये जाने के कारण बगल के गाँवों तक भी जल नहीं पहुँच पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार से जलापूर्ति कार्य की जाँच कर निर्धारित गाँवों तक कबतक जल पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*2231. श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर नगर पंचायत के वार्ड नं0 14 नगर पंचायत कचरापीट से मनोज पासवान के घर होते हुये मोतीपुर-महना रोड तक की सड़क विगत पाँच वर्षों से जर्जर है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर सड़क का कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2232. श्री अवधेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अथमलगोला प्रखंड के ग्राम-कल्याणपुर के निवासी श्रीमती निर्मला देवी एवं नवीन कुमार सिंह द्वारा करजान से ताजपुर पुल निर्माण हेतु खाता संख्या 88, खेसरा संख्या 346, रकबा 0.28 के भू-अधिग्रहण मुआवजा हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आवेदन दिया था, फिर भी अबतक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त लाभार्थियों को कबतक मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2233. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के बड़हरा विधान सभा के बड़हरा प्रखंड और छपरा जिला में मलिकाना के रूप में किसानों को 20 हजार बीघा जमीन कृषि कार्य के लिए वर्ष 1907 ई0 में मिला था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1960 से 1971 के सर्वे में उक्त जमीन का सर्वे नहीं कराया गया है जबकि जमीन पर काबिज किसानों से वर्ष 2016 तक लगान वसूल किया गया है, उसके बाद टोपो लैंड घोषित कर दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त जमीन को वर्ष 2016 से अभीतक टोपो लैंड घोषित करने का क्या औचित्य है ?

पुल का निर्माण कराना

*2234. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड नगर पंचायत, डुमरिया घाट से सरैया स्कूल के बीच पुल नहीं होने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सफाई कराना

*2235. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के मधुबनी शहर क्षेत्रान्तर्गत 8 साईफन हैं जो मिट्टी से भरी हुई है, जिसकी सफाई ड्रिलिंग मशीन से कराने की कोई व्यवस्था अभीतक नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी, मधुबनी के पत्र दिनांक 22 जून, 2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से अनुरोध किया गया है कि मानसून पूर्व के नालों की सफाई भारत संचार निगम के मधुबनी स्थित कार्यालय से ड्रिलिंग मशीन लेकर कराया जाये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ड्रिलिंग मशीन नगर परिषद्, मधुबनी को उपलब्ध कराकर साईफन की सफाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2236. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत मार्च, 2017 का पी0 एच0 एच0 योजना का खाद्यान्न एवं अन्त्योदय योजना के खाद्यान्न का उठाव जन-वितरण बिक्रेता द्वारा नहीं किया गया, जबकि जन-वितरण बिक्रेता द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा की गई राशि उन्हें लौटाई नहीं गई है और न हीं सार्मजन की गई है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

जीर्णोद्धार कराना

*2237. श्रीमती अनिता देवी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत प्रखण्ड नोखा में नगर पंचायत नोखा के महादेव राईस मिल से लेकर पियरा बाल तक की सड़क काफी जर्जर है, जिससे आवागमन बिल्कुल ठप है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त कराना

*2238. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ग्राम+पो0-कहुआ, थाना-बिरौल, जिला-दरभंगा निवासी श्री उमेश सहनी एवं श्री लाल सहनी सहित अन्य 5 व्यक्तियों द्वारा ग्राम-कहुआ की सार्वजनिक जमीन खाता सं0 84, खेसरा सं0 2023, खाता सं0 438 (पुराना), 122 (नया) एवं खेसरा नं0 1062 (पुराना) तथा 2020 (नया) को वर्ष 2004 में अतिक्रमित कर लिया गया था, जिसे अंचलाधिकारी, बिरौल द्वारा अतिक्रमण वाद सं0 04/03-04 के तहत दिनांक 14 मार्च, 2008 को मुक्त करवा दिया गया था, परन्तु वर्णित व्यक्तियों द्वारा पुन: वर्ष 2009 में उक्त जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया जो आजतक उन्हीं के कब्जे में है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक वर्णित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पदस्थापन कराना

*2239. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा, फुलपरास, खुटौना एवं लौकही अंचलों में मात्र एक ही सरकारी अमीन कार्यरत हैं, जिसके कारण राजस्व एवं भूमि सुधार के कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित अंचलों में अलग-अलग अमीन का पदस्थापन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई के साथ कार्य पूरा कराना

*2240. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड के आदर्श ग्राम-चाँदी में लगभग चार करोड़ की लागत से वर्ष 2016 में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए जलमीनार, पाइप लाइन का निर्माण कार्य नीर निर्मल योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के लगभग आठ सौ परिवार इसके उपभोक्ता भी बन चुके हैं, जबकि शुद्ध पानी की आपूर्ति बाधित है तथा पाइप लाइन बिछाने का काम भी अधूरा है, जबकि कार्य समाप्ति का वर्ष 2018 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस योजना में हो रहे लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी एवं कार्य एजेन्सी पर कार्रवाई के साथ कार्य पूरा कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी निकासी की व्यवस्था कराना

*2241. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 27 एवं 28 से पानी निकासी नहीं हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्डों से परम्परागत जल निकासी के पईन का जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण पानी से मुहल्ला झील में तब्दील हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहर में फैले पानी की निकासी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिट्टी जाँच केन्द्र खोलना

*2242. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआँव विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड क्रमश: अगिआँव, गड़हनी एवं चरपोखरी में किसानों के लिये मिट्टी जाँच केन्द्र नहीं होने से वहाँ के किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में मिट्टी जाँच केन्द्र खोलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2243. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज श्री विनोद कुमार के विरुद्ध ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा लगाये गये कई गंभीर आरोपों की जाँच भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, किशनगंज एवं प्रभारी बन्दोबस्ती पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा की गई थी, जिसके पत्रांक 262, दिनांक 24 जुलाई, 2018 द्वारा जाँच में सभी आरोप सही पाये गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा दोषी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

पदस्थापित करना

*2244. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा अंचल में प्रधान सहायक एवं अंचल निरीक्षक का पद विगत दो वर्षों से रिक्त है, जिसके कारण अंचल से संबंधित कार्य विलंब से किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में प्रधान सहायक एवं अंचल निरीक्षक को कबतक पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क बनाना

*2245. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् के वार्ड संख्या 3 की सड़क सीताराम यादव के घर से किशोर वर्मा के घर के आगे चौराहे से गुजरकर वार्ड नं० 17 ब्रिलियेंट पब्लिक स्कूल के सामने से होकर प्रभात केशरी के गोदाम होते हुये गौड़ीहारी चौक तक जाती है, वह अबतक कच्ची है, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गली एवं नाली का निर्माण

*2246. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के नगर पंचायत सुरसंड के अधीन वार्ड नं० 1,

2, 3, 4, 5 एवं 6 में नाला का निर्माण नहीं होने के कारण जल-जमाव के चलते उक्त वार्डों के लोगों आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों में पक्की गली नाली का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपस्थिति अनिवार्य कराना

*2247. श्री (मो०) नवाज आलम--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा विधान सभा क्षेत्र के शिवगंज मुहल्ले में पशु अस्पताल-अवस्थित है जो आरा का मुख्य पशु अस्पताल है, जिसमें डॉक्टरों की कमी है एवं रात में एक भी डॉक्टर उपस्थिति नहीं रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पशु चिकित्सकों की उपस्थिति अनिवार्य कराने एवं रात में चिकित्सकों की व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण करना

*2248. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत नगर पंचायत सुरसंड के अधीन सुरसंड प्रखंड कार्यालय के सामने तालाब अवस्थित है, जिसमें अत्यधिक गंदगी भरा पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तालाब को साफ-सफाई कर कबतक सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त कराना

*2249. श्री (मो०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अंचल थरथरी के ग्राम कचहरिया में दक्षिण-पश्चिम में दरगाह के पास श्रीमती मालती कुमारी, पति-स्व० चौधरी शिवेन्द्र प्रसाद सिंह का घर प्लॉट नं० 1071, खेसरा नं० 152 तौजी नं० 7538 पर अवस्थित है तथा इसके आगे का प्लॉट नं० 1069 गैरमजरूआ जमीन है, जिसे आमलोग रास्ता के उपयोग में लाते हैं, को असमाजिक तत्वों के द्वारा आये दिन बन्द कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रास्ते को कबतक अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज खोलना

*2250. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकर देसरी, सहदेई के तीनों प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण यहाँ के किसानों को कम कीमत में आलू बेचना पड़ता है, जबकि यहाँ किसान प्रत्येक वर्ष अन्य क्षेत्रों से अधिक आलू की ऊपज करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2251. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत इसलामपुर प्रखण्ड के आत्मा पंचायत के ग्राम-सिढ़ारी में स्थापित मिनी जलापूर्ति योजना का उत्क्रमण जलापूर्ति योजना में छः (6) वर्ष पूर्व विभाग द्वारा किया गया तथा इसके लिये कार्य भी उसी समय प्रारंभ किया गया, फिर भी आजतक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार जलापूर्ति योजना का कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*2252. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं० 1 स्थित मस्जिद के निकट से पासवान चौक तक पूर्ण निर्मित साधारण नाला ध्वस्त हो चुका है, जिससे जल निकासी में कठिनाई होती है तथा लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नाला को पुनः निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति कराना

*2253. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकड़, देसरी एवं सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के अंचल कार्यालय में स्थायी रूप से अमीन की नियुक्ति नहीं है, जिससे लोगों के जमीन की मापी समय पर नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित तीनों अंचलों में कबतक स्थायी रूप से अमीन की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का जीर्णोद्धार

*2254. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के राजेन्द्र नगर रोड नं० 13 बी० का सड़क पिछले पन्द्रह वर्षों से गड्ढे में तब्दील रहने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार राजेन्द्र नगर रोड नं० 13 बी० की जर्जर सड़क को मरम्मती कराते हुये पानी निकासी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित कराना

*2255. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावां विधान सभा क्षेत्र के चार प्रखंड यथा अस्थावाँ, बिन्द, सरमेरा एवं कतरीसराय के अंचल कार्यालयों में सरकारी अमीन की पूर्ण प्रतिनियुक्ति अभीतक नहीं की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक प्रखण्ड में दो-दो सरकारी अमीन के रिक्त पद के विरुद्ध एक या एक भी प्रतिनियुक्त नहीं है, जिससे जमीन की मापी संबंधी कार्य लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्डों में रिक्त पदों के अनुरूप अमीनों को पदस्थापित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दवा मुहैया कराना

*2256. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकंदरा विधान सभा के तीनों प्रखंडों क्रमश: सिकंदरा, अलीगंज और खैरा में पशुओं के चिकित्सा हेतु दवा एवं टीकाकरण उपलब्ध नहीं रहने के कारण वहाँ के ग्रामीणों के पशुओं की चिकित्सा कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में पशुओं के लिये दवा एवं टीकाकरण मुहैया कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त करना

*2257. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में कुल 8,463 पैक्स निबंधित है, जिसमें से 800 से अधिक पैक्स को सरकार द्वारा डीफॉल्टर घोषित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डीफॉल्टर पैक्सों से किसी भी प्रकार की सरकारी योजना, किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है तथा किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग पूर्ण रूप से प्रभावित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार डीफॉल्टर पैक्सों को कबतक पुनर्स्थापन कर डीफॉल्टर से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2258. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा नगर परिषद् में कचड़ा रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में डस्टबीन का क्रय किया जाना था, जबकि कार्यपालक अभियंता, सहरसा द्वारा डस्टबीन की खरीद न करके कागज पर राशि का निकासी कर बंदरबाट किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनियमितता की जाँच कराकर दोषी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड मुहैया कराना

*2259. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर, बछवाड़ा, मंसूरचक प्रखण्ड सहित अन्य प्रखण्डों में साठ (60) प्रतिशत से ज्यादा राशन कार्ड के अभाव में खाद्य सुरक्षा लाभ से वंचित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष 2008-09 में यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक वर्ष जून-जुलाई में योग्य व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त शेष वंचित उपभोक्ताओं को राशन कार्ड मुहैया करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पूर्ण निर्माण कराना

*2260. श्री विनय वर्मा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र के० नगर परिषद् क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग से खोड़ी, नन्दपुर तक मुख्य सड़क अर्द्धनिर्मित है, जबकि उक्त सड़क तीन प्रखंडों को जोड़ती है, यदि हाँ, तो सरकार अर्द्धनिर्मित सड़क को कबतक पूर्ण निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त कराना

*2261. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अस्थावाँ प्रखंड के जाना ग्राम पंचायत के ग्राम-झमटा पर से मुख्य सड़क एवं ग्राम पंचायत जाना जाने वाली मुख्य सड़क पर तीन भाइयों विजय पासवान, रामदेव पासवान, रामाशीष पासवान, पिता-स्व० रघुनन्दन पासवान एवं अन्य द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते पर पक्का मकान बना लिया गया है, जिससे आमजनों का रास्ता अवरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथ को अतिक्रमण से कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनरीक्षण करना

*2262. श्री जिवेश कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के एन० एच० 57, 4/6 निर्माण के लिये वर्ष 2006 एवं 2008 में भू-अर्जन किया गया था, जिसका पंचनामा तैयार कर भू-धारी को भुगतान किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 के अधिग्रहण से संबंधित बिहार सरकार के पत्रांक 15 डी० एल० ए० नीति 395, दिनांक 19 फरवरी, 2007, पत्रांक डी० एल० ए०-1291 रा०, पटना, दिनांक 5 जून, 2007 एवं 1161, दिनांक 23 मई, 2007 जो नयी अधिग्रहण नीति है, का पालन नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपर्युक्त पत्रों के आलोक में भुगतान के पुनरीक्षण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना

*2263. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना शहर में अपनी समस्याओं व माँगों के समाधान हेतु राजनीतिक दलों, संगठनों के लिये पटना जिला प्रशासन ने गर्दनीबाग, पटना में धरना-प्रदर्शन स्थल घोषित किया है, जहाँ आये दिन धरना-प्रदर्शन लोगों द्वारा किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर धरना-प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिये स्थायी शेड, पेयजल, शौचालय आदि कोई भी बुनियादी सुविधा पटना जिला प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त धरना-प्रदर्शन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्गत करना

*2264. श्री सुबाष सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के गोपालगंज शहर के वार्ड नं० 28 सहित अन्य वार्डों में भू-दान एवं सरकारी जमीन पर 500 से अधिक परिवार 46 वर्षों से अधिक से बसे हुये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी, गोपालगंज द्वारा जमीन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने के कारण बसे परिवार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं अन्य सरकारी योजना के लाभ से वंचित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बसे हुये परिवारों को जमीन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वाटर टावर बनाना

*2265. श्री विनय वर्मा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज नगर परिषद् क्षेत्र में एक भी वाटर टावर नहीं है, जिससे पीने के पानी का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर परिषद् क्षेत्र में कबतक वाटर टावर बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गेहूँ खरीद करना

*2266. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में इस वर्ष गेहूँ खरीद का लक्ष्य 4,000 मीट्रक टन का है, परन्तु 67 दिन बीत जाने के बाद मात्र 27 मीट्रिक टन ही खरीदा गया है;

(2) क्या बात सही है कि विभागीय सुस्ती से जिला में गेहूँ खरीद के लक्ष्य को पाना नामुमकिन हो गया है तथा किसान अपना गेहूँ बिचौलियों के हाथ औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गेहूँ खरीदने की तिथि आगे बढ़ाने के साथ निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिये किसान से गेहूँ खरीद करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि इस वर्ष गेहूँ की अधिप्राप्ति के लिये मात्र 73 किसानों के द्वारा ऑनलाईन निबंधन किया गया था । गेहूँ के क्रय हेतु जिला टास्क फोर्स से 13 समितियों का चयन किया गया है । परन्तु बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने एवं अधिशेष उत्पादन कम होने के कारण निबंधित किसानों द्वारा भी गेहूँ बेचने हेतु सरकारी क्रय केन्द्रों पर अभिरूची नहीं ली गयी है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संकल्प संख्या 1123, दिनांक 6 मार्च, 2019 के द्वारा राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम माह 1 अप्रील, 2019 से 30 जून, 2019 तक निर्धारित है ।

सौंदर्यीकरण एवं विकास कराना

*2267. श्री मदन मोहन तिवारी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया के बड़ा मैदान का सौंदर्यीकरण एवं विकास अबतक नहीं हो सका है, जिससे आमजन को घुमने-टहलने में परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार बेतिया बड़ा मैदान का सौंदर्यीकरण एवं विकास के कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व माफ करना

*2268. श्री आलोक कुमार मेहता--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में पिछले वर्ष समस्तीपुर जिला के सुखाड़ग्रस्त प्रखंडों के तालाब, चौर आदि सूख जाने के कारण मत्स्यपालकों का धंधा भी चौपट हो गया है जिससे उस वर्ग में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, फिर भी मत्स्यपालकों को लगनेवाले राजस्व की माफी अभीतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मत्स्यपालकों को लगनेवाले राजस्व को कबतक माफ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार चालू कराना

*2269. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के गोरौल चौक में वर्ष 1984 में जलमीनार का निर्माण हुआ था, जिसमें संचालन कार्य के लिए ऑपरेटर भी नियुक्त है, फिर भी वर्णित जलमीनार से दस वर्षों से जलापूर्ति बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित जलमीनार को चालू कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कर चापाकल गाड़ना

*2270. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखण्ड एवं बारून प्रखंड में 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में विधायक द्वारा अनुशंसित स्थानों पर चापाकल नहीं गाड़े गये हैं, जबकि उक्त वित्तीय वर्ष में भुगतान भी कर दिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त प्रखंडों में विधायक द्वारा अनुशंसित वर्ष 2012 से आजतक के गाड़े गये चापाकल का स्थल जाँच तथा नहीं गाड़े गये चापाकल को गड़वाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई के साथ कार्य पूरा कराना

*2271. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया नगर परिषद् अन्तर्गत गंडक नदी के किनारे बलुआही घाट में सोलर पैनल युक्त आधुनिक शवदाह गृह का निर्माण कार्य वर्ष 2005 में प्रारम्भ हुआ था, जिस पर 54 लाख रुपये खर्च किया जा चुका है, फिर भी अभीतक शवदाह गृह का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के साथ निर्माण कार्य कबतक पूरा कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु स्वास्थ्य उप-केन्द्र चालू कराना

*2272. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत कपछाही गाँव में स्वीकृत पशु स्वास्थ्य उप-केन्द्र कागज पर ही चल रहा है, धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु स्वास्थ्य उप-केन्द्र को कबतक वर्णित गाँव में सरजमीन पर चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क को ऊँचीकरण कराना

*2273. डॉ0 अब्दुल गफुर--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा नगर परिषद् के अलीनगर वार्ड नं0 22 में प्रश्नकर्त्ता सदस्य के आवास से बनगाँव पथ तक जल-जमाव रहने के कारण आम लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक ऊँचीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा से मुक्त कराना

*2274. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के अंचल वसंतपुर के खोड़ी पाकड़ मोड़ से वगही तक भूदान की एक सौ बीघा जमीन है जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर ली गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*2275. श्री विजय कुमार विजय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर नगर निगम अन्तर्गत वार्ड नं0 43 में पटना रोड शहीद स्मारक से उत्तर बाँध जहुरी यादव के घर तक सड़क काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे आमलोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2276. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इसलामपुर प्रखण्ड के सूढ़ी पंचायत में फ्लोराइड से प्रभावित ग्राम-कपस्या के वार्ड 7 में विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु बोरिंग/समरसेबुल एवं प्रत्येक घरों तक पाइप बिछाकर कनेक्शन करने का कार्य विगत दो वर्ष पूर्व कराया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य में संवेदक द्वारा घटिया सामग्रियों का उपयोग किये जाने के कारण बोरिंग/समरसेबुल बंद होने के कगार पर है तथा घरों में पानी भी नहीं पहुँच रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कार्य में हुई अनियमितता की जाँच कराकर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पूर्ण व्यवस्थित करना

*2277. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखंड अन्तर्गत मच्छरगाँवा में स्थित पशु चिकित्सालय के बन्द रहने से उस क्षेत्र के पशुपालकों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय को पूर्ण व्यवस्थित कर कबतक इलाज सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*2278. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत नरहट और अकबरपुर प्रखंड के 7,799 किसानों को तीन माह पूर्व ही ऑनलाईन अप्लाई कर दिये जाने के बावजूद किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि की अनुपलब्धता के कारण छः-छः हजार रुपये का भुगतान नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भुगतान करने का विचार रखती है ?

पार्क का निर्माण

*2279. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद् क्षेत्र में एक भी बड़ा पार्क नहीं है, जिससे आम शहरी लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार समस्तीपुर नगर परिषद् क्षेत्र में पार्क का निर्माण कार्य कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त कराना

*2280. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज अंचल में नगर परिषद् बिक्रमगंज के ग्राम-तेन्दुनी, वार्ड नं० 2, खाता 525, खेसरा नं० 876, रकबा 3 डी० जमीन का रास्ता अतिक्रमित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अतिक्रमित रास्ते का भूमिवाद निराकरण अपील वाद संख्या 196/2011, दिनांक 24 अगस्त, 2013, आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अतिक्रमित जमीन को कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी निकासी की व्यवस्था कराना

*2281. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के मनिहारी नगर में दो वर्ष पूर्व अम्बेदकर चौक से रेलवे गुमटी तब बनाई गई सड़क में नाले का उचित प्रबन्ध नहीं होने के कारण सड़क पर पानी जमा हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार सड़क से पानी निकासी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*2282. श्री जिवेश कुमार--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 अप्रील, 2019 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''ओलावृष्टि से रब्बी फसल बर्बाद, उड़ गये एस्बेस्टस व चदरे'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखण्ड में 9 अप्रील, 2019 को आई आँधी-बारिश एवं ओलावृष्टि से रब्बी फसल बर्बाद हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार ओलावृष्टि एवं आँधी-बारिश से प्रभावित किसानों को कबतक मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना बतलाना

*2283. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् एवं जोगबनी नगर पंचायत में अबतक जल निकासी का स्थायी समाधान नहीं किया गया है, जिससे नगर क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या बनी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या कार्य योजना है ?

कार्य प्रारम्भ करना

*2284. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड नगर पंचायत के वार्ड नं० 11 एवं वार्ड नं० 13 को जोड़ने वाली सड़क डुमरिया घाट से सरैया स्कूल का सड़क दो वर्ष पूर्व 1 करोड़ 60 लाख रु० का प्राक्कलन स्वीकृत हो गया है फिर भी निविदा नहीं होने के कारण सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य कबतक प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्ति दिलाना

*2285 श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा नगर परिषद् में वार्ड नं० 1 से 26 तक नदी नक नाला नहीं रहने के कारण नगर परिषद् में जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण नगरवासियों को शड़ांध एवं बदबू के बीच रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों के नदी तक नालों का निर्माण कराकर, जल-जमाव से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पी० सी० सी० करना

*2286 श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो में एस०एच० 12 (आरा-सासाराम रोड) से अजय इण्डेन, बुद्ध नगर, पीरो के रास्ता में नाली नहीं रहने से जल-जमाव बना रहता है, जिससे आमजन के साथ-ही-साथ छात्र/छात्राओं को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित नाले एवं पथ को कबतक पी०सी०सी० कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फसल क्षति योजना का लाभ देना

*2287. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड में किसानों को बिहार फसल सहायता योजना के तहत वर्ष 2018-19 में खरीफ फसल धान एवं मक्का का राशि किसानों के खाते में नहीं भेजा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों को 1% से 20% क्षति के लिये प्रति एकड़ तीन हजार रुपया देना था, जबकि उक्त पीड़ित किसानों को उक्त फसल क्षति योजना से वंचित रखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँच कराकर किसानों को फसल क्षति योजना का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त कराना

*2288. श्री शशि भूषण हजारी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड के ग्राम-महादेवमठ, थाना-अंधरामठ स्थित खाता सं० 256, पुराना खेसरा नं० 1984 की सरकारी जमीन को मुनेश्वर पंडित, लक्ष्मण पंडित एवं श्याम कुमार पंडित द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास के निर्देश के आलोक में अंचल अधिकारी लौकही द्वारा पत्रांक 519, दिनांक 6 जुलाई, 2011 के माध्यम से मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, फिर भी अबतक उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2289 श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखण्ड के ग्राम परसौनी कपुर में रिलायंस जियों कम्पनी द्वारा मोबाईल टावर लगाने की स्वीकृति दी थी, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुये जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से जाँच की माँग की गयी, जिसके आलोक में जिला सामान्य प्रशाखा, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 511, दिनांक 9 अप्रैल, 2018 के द्वारा तत्काल टावर लगाने पर रोक लगा दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जाँच जिला प्रशासन द्वारा नवम्बर, 2018 में पूरी कर ली गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो अबतक कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

अतिक्रमण हटाना

*2290 श्री अमर नाथ गामी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अन्तर्गत हायाघाट बाजार स्थित राम जानकी चौक से स्टेशन चौक तक सड़क तक की चौड़ाई 25 फीट है, जिसमें स्थानीय दुकानदारों द्वारा सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे सड़क की चौड़ाई मात्र सात-आठ फीट बच गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क से कबतक अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण कराना

*2291 श्री संजय कुमार तिवारी 'उर्फ' मुन्ना तिवारी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के बक्सर शहर में अवस्थित जयप्रकाश नारायण बस स्टैंड का आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यीकरण विगत 10 वर्षों से नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित बस स्टैण्ड का आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सैरात मुक्त घोषित करना

*2292 श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज अंचल के मौजा बरारो थाना नं० 80, खाता नं० 62, खेसरा नं० 197, कुल 8.70 एकड़ भूमि को सैरातों की सूची से मुक्त करने हेतु समाहर्ता, किशनगंज के पत्रांक 1515, दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के द्वारा आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियां को प्रस्ताव भेजा गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भू-भाग को सैरात मुक्त घोषित करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिसूचित करना

*2293 डॉ० अशोक कुमार--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल बिहार राज्य के सबसे पुराने नगरपालिका में से एक है, फिर भी इसे नगरपालिका से नगर पंचायत बना दिया गया है, जिससे इसके विकास कार्यों की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार रोसड़ा नगर पंचायत को पूर्व की भाँति पुनः नगरपालिका के रूप में अधिसूचित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कराना

*2294. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा नगर परिषद् के चौक-चौराहों पर सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार नहीं है, जिससे आम नागरिकों खासकर महिलाओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर परिषद् क्षेत्राधीन चौक-चौराहों पर सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2295. श्री (मो०) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज नगर पंचायत से निबंधन कार्यालय के निकट मध्य बाजार में एल० आर० पी० चौक पर सार्वजनिक शौचालय नहीं, है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वीकृति करना

*2296. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के मधुबनी शहर के वार्ड नं० 7 में गोशाला चौक से नहर तक पथ में पी० सी० सी०, नाला का ढक्कन सहित आर० सी० सी० नाला एवं पुलिया निर्माण का प्राक्कलन 1,02,41,600 (एक करोड़ दो लाख एकतालीस हजार छः सौ) रुपये का पत्रांक 1011, दिनांक 13 अगस्त, 2018 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधुबनी द्वारा अधीक्षण अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को स्वीकृति हेतु भेजा गया है, फिर भी आजतक प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्राक्कलन स्वीकृत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*2297. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी में दाह संस्कार के लिये स्थानीय के साथ-साथ पूर्णियाँ, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल इत्यादि स्थानों से लोग आते है, लेकिन सरकारी व्यवस्था के अभाव में जहाँ-तहाँ दाह संस्कार के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तथा सरकार विद्युत् शवदाह गृह नहीं रहने के कारण दाह संस्कार में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार मनिहारी में विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क निर्माण कराना

*2298. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी के वार्ड नं० 12 में सामुदायिक विकास भवन से प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय होते हुये गोला बाजार मुख्य सड़क तक एवं गांजा मोड़ से लोदी शहीद तक सडक काफी जर्जर रहने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित सड़कों को कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर परिषद् का दर्जा देना

*2299. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी, नगर परिषद् के मानक को पूरा करता है, फिर भी इसे आजतक नगर परिषद् का दर्जा नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत शेरघाटी को नगर परिषद् का दर्जा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वित करना

*2300. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मंसूरचक प्रखंड के साठा पंचायत अन्तर्गत मिल्की, बाजोपुर, विजैया, तेमुहाँ (बछवाड़ा) एवं भागलपुर प्रखंड के चम्का, शेरपुर काली स्थान, चंदौल, हरीचक, महेशपुर, पाली, तियाय, लघु जलापूर्ति योजना से बोरिंग की खुदाई दस वर्ष पूर्व होने के बावजूद जलापूर्ति आरंभ नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुये कबतक उक्त योजनाओं को वर्णित पंचायतों में कार्यान्वित कराने का विचार रखती है ?

औचित्य बताना

*2301. श्री भाई विरेन्द्र--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सीवान, खगड़िया सभी जिला के जिला पदाधिकारी को पत्र संख्या 100, दिनांक 20 जनवरी, 2017 द्वारा अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि इनपुट अनुदान गन्ना फसल सहित क्षतिग्रस्त अन्य फसलों के लिये कुल 89470.00 लाख रुपया आवंटित की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सीवान बेगूसराय, खगड़िया जिला में गन्ना किसानों के क्षतिग्रस्त फसलों के लिये आवंटित कृषि इनपुट अनुदान राशि अबतक उपलब्ध नहीं कराई गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो गन्ना किसान को कृषि इनपुट अनुदान राशि नहीं उपलब्ध कराने का क्या औचित्य है ?

निर्माण कराना

*2302. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम अन्तर्गत वार्ड नं० 32, 33 की (*i*) रामानन्द पथ से शाहगंज वेंता रेलवे गुमटी तक (*ii*) वार्ड नं० 4 बापू चौक से परमेश्वर चौक होते हुये बेला दुर्गा मंदिर तक-सह-विस्तरित दरभंगा पोलटेक्नीक कॉलेज तक सड़क एवं नाले की स्थिति नारकीय बना हुआ है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित नाला एवं सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2303. श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में गरीबों के लिए सस्ते दर पर राशन के आवंटन, उठाव एवं वितरण में भारी घोटाला आपूर्ति पदाधिकारी, संवेदक एवं अन्य पदाधिकारी की मिली भगत से हो रहा है, परन्तु दंडित मात्र जन-वितरण दुकानदार को किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इस कड़ी में संबंधित पदा0 को दंडित नहीं करने का क्या औचित्य है ?

समस्या का निदान कराना

*2304. श्रीमती पुनम देवी यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के खगड़िया प्रखण्ड, अलौली प्रखण्ड के रहीमपुर मौजे, चातर मौजे के टोपो लैंड में शामिल होने से विगत 3 वर्षों से जमीन की पैमाईस तथा रजिस्ट्री बाधित है, यदि हाँ, तो इसके निदान हेतु सरकार की क्या योजना है ?

निर्माण कराना

*2305. डॉ0 अशोक कुमार--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड नं0 48 स्थित सैदपुर में शिवम् अपार्टमेंट के पास नहर की चहारदीवारी विगत छः महीना पूर्व में ध्वस्त हो जाने के बावजूद विभागीय लापरवाही के कारण अभीतक चहारदीवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चहारदीवारी नहीं रहने से कई लोग वाहन सहित तथा सैकड़ों मवेशी नहर में गिर गये हैं, जिससे बरसात के पानी से आमजन काफी भयभीत रहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चकबंदी के अनुरूप काटना

*2306. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज अंचल में चकबंदी का कार्य वर्ष 1980 में पूर्ण हो गया था तथा उसके बाद सभी मौजा के जमीनों का रसीद चकबंदी के अनुरूप काटकर लगान की वसूली किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय पदाधिकारी की लापरवाही के कारण उक्त अंचल के कुछ मौजा में यथा ''बारह पोठिया के थाना नं0 187, आमबाड़ी के थाना नं0 196, मोजीडांगी के थाना नं0 197 एवं राजागाँव के थाना नं0 201'' के जमीनों का रसीद चकबंदी के अनुरूप न काटकर अभी भी पुनरीक्षण सर्वे (Revisional Survey) के अनुसार ही रसीद काटकर लगान की वसूली की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित जमीनों का रसीद चकबंदी के अनुरूप काटने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*2307. डॉ0 अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के महिषी प्रखंड के भेलाही, सत्तर, कटैया प्रखंड के मकुना एवं नवहट्टा प्रखण्ड के बकुनियाँ गाँव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, यदि उक्त खण्ड की उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त तीनों गाँव में जल मीनार का निर्माण कर शुद्ध पेयजल कबतक उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई सुविधा देना

*2308. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि इस बार राज्य में सुखे की स्थिति उत्पन्न होने से गन्ना किसानों का फसल खेतों में सुख रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना मूल्य का कृषकों को ससमय भुगतान नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी, जिससे वे अपने खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलसंकट दूर करना

*2309. श्री (मो0) नवाज आलम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा शहर की सभी जल मीनारें विभाग की है, परन्तु विभाग द्वारा पानी का कनेक्शन घरों तक नहीं दिया जा रहा है, जिससे पेयजल का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार लोगों को जल संकट से निजात हेतु घरों तक कबतक कनेक्शन दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा दिलाना

*2310. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अंचल के मौजा-ढाकाकरम थाना नं0 172 में चकबंदी का कार्य 1976-80 के बीच हुआ था, परन्तु अभीतक किसानों को अपनी जमीन पर चकबंदी के अनुसार दखल नहीं दिया गया है, जबकि 50 प्रतिशत किसानों ने अपनी जमीन भी बेच दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लघु किसानों को चकबंदी का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पुन: चकबंदी कार्य कराकर किसानों को जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा दिलाना

*2311. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बड़ी संख्या में भूमिहीनों को पाँच लाख वासगीत पर्चा दिया गया है, जिसपर अबतक शत-प्रतिशत दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है, जबकि वासगीत पर्चा काटे गये भूमि पर दबंगों का कब्जा है, यदि हाँ, तो सरकार पर्चाधारी भूमिहीनों को कबतक शत-प्रतिशत कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*2312. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डण्डखोरा अंचल में प्रधान सहायक एवं अंचल निरीक्षक का पद विगत तीन वर्षों से रिक्त है, जिसके कारण अंचल से संबंधित कार्य विलंब से किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में प्रधान सहायक एवं अंचल निरीक्षक को कबतक पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शेड निर्माण कराना

*2313. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के इनायतनगर पंचायत में सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, वृहस्पतिवार एवं रविवार को गंज हाट का आयोजन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त हाट में शेड नहीं होने के कारण भीषण गर्मी एवं बरसात के दिनों में बिक्रेताओं एवं क्रेता तथा आम जनता को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त हाट में शेड का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2314. श्री (मो०) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढागाच्छ मुख्यालय में जल-मीनार का निर्माण 7 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था जो अबतक अधूरा है, जबकि वित्तीय वर्ष 2012 में ही निर्माण कार्य पूरा होना था, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार को कबतक पूर्ण कराकर शुद्ध जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2315. सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में साकिन-घुसकी, थाना-बरारी के प्रभुलाल पासवान पिता-स्व० सीताराम पासवान एवं अन्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को बिहार सरकार द्वारा मौजा भंडारतल खाता 816, खेसरा 01 एवं 02, रकबा 9 एकड़ 89 डीसमील भूमि बंदोवस्त किया गया है, जिसमें मखाना की खेती की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मत्स्य समिति, बरारी के मंत्री एवं स्थानीय थाना अध्यक्ष द्वारा उक्त बन्दोबस्त जमीन पर विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा खेती काटने के समय परेशान किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बन्दोबस्त किये गये भू-आवंटी को बाधा उत्पन्न करने वाले मत्स्य समिति के मंत्री एवं अन्य पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 25 जुलाई, 2019 (ई०)।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा।

बि०स०मु० 52 (एल०ए०), 2019-20 डी०डी०पी०-550